3/यो0-03/2019
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -.................................

विषय:- **मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत वितीय वर्ष 2019-20 में राज्य के सभी आय वर्ग के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने हेतु रूपया 384.00 करोड (तीन सौ चौरासी करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में वृद्धजनों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन हेतु एक नयी योजना 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' अधिसूचित की गयी है, जिसमें राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त न हो रहा हो, उन्हें 60-79 वर्ष आयु वर्ग के लिए रू0 400/- (चार सौ रूपये) एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए रू0 500/- (पॉच सौ रूपये) का मासिक पेंशन देय होगा तथा जो वित्तीय वर्ष 2019-20 अर्थात 01.04.2019 से भुगतेय होगा।

2. राज्य में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 92.50 लाख वृद्धजन होंगे जिसमें केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्तकर्ता लगभग 56 लाख वृद्धजन ही होंगे। इस प्रकार राज्य के अवशेष 36.50 लाख वृद्धजन ऐसे हैं जिन्हें सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु सम्प्रति कोई पेंशन का लाभ सरकार द्वारा प्रदत नहीं है। वितीय वर्ष 2019-20 में अनुमानित आठ लाख पेंशनधारियों के पेंशन स्वीकृति के आलोक में पेंशन भुगतान हेतु कुल रू. 384.00 करोड (रू. तीन सौ चौरासी करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

(राशि रू. लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	स्वीकृति की राशि		
			विषय शीर्ष	बजट प्रावधान	स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235021040109)	0109.31.06	38400.00	27000.00
			0109.13.01		1100.00
	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235027890114)	0114.31.06		9300.00
	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना - जनजातीय क्षेत्र उप योजना	(51-2235027960125)	0125.31.06		1000.00
			योग:- 1 **(रू0 तीन सौ चौरासी करोड़)**		**38400.00**

3. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। कार्यालय व्यय की राशि आवश्यकतानुसार सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा प्राप्त आवंटन के आधार पर किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। योजना मद में राशि की निकासी कर 'सक्षम' के खाता में उपलब्ध करायी जायेगी एवं 'सक्षम' द्वारा इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. वर्तमान वितीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-51 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण्-लघु शीर्ष-104-वृद्ध तथा नि:सहाय व्यक्तियों का कल्याण उपशीर्ष-0109-मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना-0107.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड- 51-2235021040109, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण्-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- उपशीर्ष-0114-मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना-0107.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड- 51-2235027890114 तथा मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण्-लघु शीर्ष-796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-0125-मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना-0107.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड- 51-2235027960125 में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कुल रूपये 384.00 करोड (तीन सौ चौरासी करोड) रूपये का बजट उपबंध के अधीन व्यय किया जायेगा।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-03/2019 के टिप्पणी पृष्ट संख्या 23/टि0 पर दिनांक 03.06.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-03/2019 के टिप्पणी पृष्ट संख्या 16/टि0 पर दिनांक 20.05.2019 को माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

9. यह नई योजना है। महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/-
(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु०)

ज्ञापांक- 3/यो0-03/2019 32 /.................../दिनांक- 07-06 2019

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०)